हुकम

18/7/19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित/वादी/ बहस 23.7.19 को पेश हो।
23.7.19	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादी० वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है, प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में अकारण तथा बिना अधिकार के ही मदाखलत मजाहमत करते थे। उक्त प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में अनाधिकार मदाखलत नहीं करें।

मैंने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वांछित अनुतोषादि पर सम्यक विचार किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर विचार किया गया।

वादीगण द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है, कि प्रतिवादीगण उनके विरुद्ध किस प्रकार से मदाखलत मजाहमत कर रहे थे।

प्रकरण पर मननोपरान्त हम यह पाते हैं, कि वादीगण द्वारा कयास के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा पेश कर दिया गया। ऐसा कोई तथ्य नहीं

23/7/19

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है, जिसके आधार पर वादीगण की प्रतीत से परेशानी जाहिर आती है। अतः वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं है और पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। फाइनल फैसला अनुसार है। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 23/7/2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। 23/7/15 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	